


राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 7(38)परि/नियम/मु/2007/पार्ट-III/11314

जयपुर, दिनांक: 22-06-2015

कार्यालय आदेश 118/2015

विभागीय आदेश संख्या 17/2015 दिनांक 04.06.2015 द्वारा वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश में "5 बैठक क्षमता एवं 5 बैठक क्षमता से अधिक" के स्थान पर "5 बैठक क्षमता तक एवं 5 बैठक क्षमता से अधिक" प्रतिस्थापित किया जाता है।



(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांक: एफ 7(38)परि/नियम/मु/2007/पार्ट-III/11315-11320

जयपुर, दिनांक: 22-06-2015

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. अपर परिवहन आयुक्त (जोन)(समस्त)।
4. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी(समस्त)।
5. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)